फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 11/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.02.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/146–147 दिनांक 03.02.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 04.12.2019 व अनुभाग को 04.12.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 02 की सूचना इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग व बिन्दु संख्या 03 की सूचना प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग की होने से व बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की होने से संबंधित अनुभाग व विभाग को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/859–62 दिनांक 06.12.2019 से लिखा गया तथा उक्त पत्र से ही प्रार्थी को बिन्दु संख्या 04 की सूचना से सूचित किया गया। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन पर बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 01 दिनांक 03.01.2020 (जिसे प्रार्थी को दिनांक 24.01.2020 से उपलब्ध कराई गई) व प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 87 दिनांक 31.01.2020 से इस अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना इस जवाब के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/86–88 दिनांक 24.01.2020 से लिखा गया किन्तु संबंधित विभाग से आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध करा दी गई या नही के संबंध में कोई जवाब उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नही हुआ हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पर बिन्दु संख्या 02 व 04 तक की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 01 की सूचना के संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2020/146–147 दिनांक 03.02.2020 से सूचित किया गया हैं। किन्तु संबंधित विभाग से आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध कराई गई या नही, के संबंध में उपखण्ड अधिकारी देवगढ से जवाब प्रेषित नही किया हैं। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता हैं। कि उपखण्ड अधिकारी देवगढ से जवाब प्राप्त करें। और अपने स्तर पर अपीलार्थी को सूचित करें। साथ ही बिन्दु संख्या 02 से 04 तक सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई हैं।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)